सं0 ओ-17035/04/2016 /एचएफए-IV (एफटीएस-9015679)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एचएफए-IV अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110018

दिनांकः 19 नवम्बर,2018

सेवा में,

श्री दया किशन जोशी,
एफ-104, गली सं. 4,
पश्चिमी करावल नगर,
दिल्ली-110090

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके दिनांक 31.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. आरटीआई/12848/2018-पीएमआर के द्वारा अंतरित और ई-ऑफिस के जरिए सीपीआईओ (एचएफए- IV) के कार्यालय से दिनांक 06.11.2018 को प्राप्त आपके दिनांक 12.10.2018 के आरटीआई आवेदन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के सीएलएसएस घटक के संबंध में सूचना प्रदान करने के बारे में है। जहां तक एचएफए- IV का संबंध है यथा उपलब्ध सूचना इस प्रकार प्रस्तुत है :

मद सं.1,2,3 एवं 6: भारत सरकार ने सभी पात्र शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु दिनांक 25.06.2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई (यू)} का शुभारंभ किया है। मिशन के अंतर्गत चार घटक हैं अर्थात् स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के माध्यम से किफायती आवास, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के लिए सब्सिडी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के सभी चार घटकों में सहायता के लिए पात्र हैं जबकि निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग श्रेणी भी इस मिशन के केवल सीएलएसएस घटक के अंतर्गत पात्र हैं। ईडब्लयूएस एलआईजी और एमआईजी (I और II) श्रेणियों को उनके आय के मानदंडों के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

- 300,000/- रूपए तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवार
- 3,00,001/-से 6,00,000/-रूपए के मध्य की वार्षिक आय वाले एलआईजी परिवार;
- 6,00,001/- से 12,00,000/-रूपए के मध्य की वार्षिक आय वाले एमआईजी-I वाले परिवार
- 12,00,001/- से 18,00,000/-रूपए के मध्य की वार्षिक आय वाले एमआईजी-II परिवार ।

जारी...

मिशन का कार्यान्वयन राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है। राज्यों को उनकी आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चार घटकों में से उचित विकल्प का चयन करने की शिथिलता है। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस एवं एमआईजी के लिए सीएलएसएस) को छोड़कर सभी घटकों के अंतर्गत परियोजनाओं और योजनाओं का अनुमोदन एवं लाभार्थियों का चयन राज्य स्तर पर होगा और भारत सरकार से वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जानी है। स्लम पुनर्विकास घटक के तहत, केंद्रीय सहायता एक लाख रूपए प्रति आवास है जबकि एएचपी और बीएलसी घटक के लिए केंद्रीय सहायता एक लाख पचास हजार रूपए प्रति आवास है। पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सभी घटकों/(सीएसएसएस घटक को छोड़कर) के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई (यू)} के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम घटक के तहत प्राथमिक ऋण प्रदाता संस्थाओं (पीएलआई) से आवास ऋण लेने वालों को स्कीम के तहत अन्यथा पात्र होने की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ कम आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 6.5%, मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-I) के लिए 4% , माध्यम आय वर्ग- II (एमआईजी-II) के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सीएलएसएस (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस और एमआईजी के लिए सीएलएसएस) घटक के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को सब्सिडी जारी करने हेतु दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेप्मेंट कॉरपोरेशन लि0 की पहचान की है। केन्द्रीय नोडल एजेंसियों ने मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन पीएलआई जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, की सूची मंत्रालय की वेबसाइट http://mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php पर और एनएचबी और हडको की वेबसाइट पर भी दी गई है।

संपूर्ण ब्यौरे के लिए, इडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस और एमआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु पीएमएवाई (यू) मिशन दिशानिर्देश और प्रचालनात्मक दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर http://mohua.gov.in/cms/hfaguidelinesmanagement.php लिंक पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं।

मद सं. 4,5, 7 एवं 8: इन मदों के तहत मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के एच एफ ए -1 औए एच एफ ए -5 के क्षेत्राधिकार में आती है। अत: आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अंतरित की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध के अनुसार यथोचित कारवाई करें और आवेदक को सीधे सूचना भेजें।

जारी...

2. यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

डॉ0 चद्रमणि शर्मा,
निदेशक(एचएफए-4),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 222, 'जी' विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

भवदीय,

(राहुल माहना)
अवर सचिव एवं सीपीआईओ (एचएफए-4)
दूरभाष-23061285

प्रति प्रेषित :

i. अवर सचिव (आरटीआई) एंव सीपीआईओ (श्री प्रवीण कुमार), प्रधान मंत्री कार्यालय , साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 को 31.10.2018 के पत्र सं. आरटीआई/12848-पीएमआर के संदर्भ में सूचनार्थ।

ii. सीपीआईओ एवं अवर सचिव (एचएफए-I प्रभाग), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को मद सं. 4,5,7 एवं 8 के लिए आरटीआई अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के तहत इस अनुरोध के अंतरित किया जा रहा है कि अधिनियम के अनुसार यथोचित कारवाई करें और आवेदक को सीधे सूचना भेजें।

iii. सीपीआईओ एवं अवर सचिव (एचएफए-V प्रभाग), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को मद सं. 4,5,7 एवं 8 के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस अनुरोध के अंतरित किया जा रहा है कि अधिनियम के अनुसार यथोचित कार्रवाई करें और आवेदक को सीधे सूचना भेजें।

iv. अनुभाग अधिकारी (पीआई प्रकोष्ठ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।

v. अनुभाग अधिकारी (आईटी प्रकोष्ठ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को वेबसाइट पर डालने के लिए।